सं0-563

क्रमांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) प्रोसनो टुडवार, (2.) प्रेमचन्द टुडवार दोनों के पिता स्व0 प्रतिआशा टुडवार, निवास स्थान डुडहुडु पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-डुडहुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-30 प्लॉट संख्या-1052, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मसोमात गीता देवी पिता किशुन महतो पति स्व0 बाजो महतो, निवास स्थान ग्राम-केरीगढ़ा, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि संबंधित कागजात संलग्न कर आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-725/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3776/रा0 दिनांक 14.10.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 2048 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि टाईटल सूट से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत छेदी दुसाध वगै0 हैं। खतियान में भूमि का कुल रकवा 2.76 एकड़ दर्ज है तथा टाइटल सूट में 26डी0 भूमि का जिक्र है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.26 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-34/V पर परमानंद टुडवार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदकगण के चाचा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.22 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) प्रोसनो टुडवार, (2.) प्रेमचन्द्र टुडवार दोनों के पिता स्व0 प्रतिआशा टुडवार, निवास स्थान हुइहुडु पतरातु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुइहुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-30 प्लॉट संख्या-1052, रकबा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि मसोमात गीता देवी पिता किशुन महतो पति स्व0 बाजो महतो, निवास स्थान ग्राम-केरीगढ़ा, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.10.30 12:27:42 +05:30
Location: 192.168.0.104